मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-4/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सीधी भरती के लिय आयोजित परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 2030/चार/नि-2 दिनांक 22-6-63, 1360/853/नि-2/69/चार, दिनांक 25-8-69, 750/1166/IV/R:I दिनांक 16-6-76 एवं ज्ञाप क्रमांक डी 129/285/94/नि-1/चार, दिनांक 8-4-1994.

—••—

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के लिये आयोजित परीक्षा एवं/ अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु यात्रा भत्ता देने संबंधी पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित करते हुये सन्दर्भित ज्ञापनों की शर्तो के अनुसार यात्रा भत्ता की पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(1) रेल से यात्रा करने पर

स.क्रं	रेल से यात्रा	पात्रता
i	प्रथम श्रेणी पद के लिये अभ्यर्थी जिन्हें साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया है ।	रेल की ए.सी. 3 श्रेणी से यात्रा की एकल किराया राशि .
ii	द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्हें साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया है ।	द्वितीय श्रेणी साधारण शयनयान से यात्रा की एकल किराया राशि .
iii	चतुर्थ श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्हें साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया है ।	द्वितीय श्रेणी साधारण शयनयान से यात्रा की एकल किराया राशि .

(2) निजी बस सेवा अथवा शासकीय बस सेवा से यात्रा करने की स्थिति में बस का किराया देय रहेगा ।

(3) रेल से यात्रा करने पर आरक्षण शुल्क, इंटरनेट शुल्क आदि वैधानिक चार्जेस भी यात्रा टिकिट के साथ शामिल किये जायेगें ।

(4) यदि यात्रा जीप, टैक्सी, शेयर टैक्सी के द्वारा की गई है, तो ₹ 1/- प्रति किलोमीटर की दर से गणना कर यात्रा की राशि का भुगतान किया जावेगा ।

(5) यदि रेल/बस टिकिट प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब ₹ 1/- प्रति किलोमीटर की दर से गणना अथवा रेल/बस का वास्तविक किराया, जो भी कम हो दिया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग